संख्या-70/2017/2803 ई-2/तेरह-2017-128/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 05 दिसम्बर,2017

विषयः- होटल एलीवेट 6/27/1ए, यमुना किनारा रोड, थाना छत्ता, आगरा को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-241/आब0सहा0, दिनांक 21 अगस्त,2017 तथा पत्र संख्या-329/आब0सहा0, दिनांक 31 अक्टूबर,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 20-7-2017 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-223/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-10/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 22 सितम्बर,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री रजत खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रमोद कुमार खण्डेलवाल, नि0-32, चर्च रोड, बाग फरजाना, आगरा के नाम होटल एलीवेट, 6/27/1ए, यमुना किनारा रोड,थाना-छत्ता, जनपद आगरा को वर्ष 2017-18 के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-70/2017/2803(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-223/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-10/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 22 सितम्बर,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।